राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या :1119 व 1120/2016 ..... जिला : जयपुर

मैसर्स जी वी आर इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त,प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर, राजस्थान–तृतीय, जयपुर **एवं अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम,वाणज्यिक कर, जोधपुर**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

09.11.2016

अपीलार्थी की ओर से श्री अशोक हंसारिया, अभिभाषक एव विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये दोनों अपीले मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 26.11.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम ,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त,प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर, राजस्थान–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 61 व 55 के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 वं 2014–15 के पारित कर निर्धारण आदेशों में निम्न तालिका के अनुसार मांग सृजित की है :–

अ.सं.	कर रू.	ब्याज रू.	शास्ति रू.	कुल मांग राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित राशि	अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5	6	7
1119/16	6,54,796	163699	1309592	21,28,,087	13,09,592	8,18,495
1120/16	5406584	702,856	10813168	1,69,22,608	1,08,13,168	61,09,440

उक्त तालिका के अनुसार सृजित गांग राशियों के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने तालिका के कॉलम संख्या 4 पर आंकित राशियों की वसूली पर रोक लगाते हुए कॉलम संख्या 2 एवं 3 पर अंकित राशियों पर रोक लगाने से इनकार करने के कारण कॉलम संख्या 7 में अंकित राशियों पर रोक लगाने का निवेदन किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्र 'सी' पर मंगाये गये माल का संविदा कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य उपयोग नहीं किया गया है। उनका कथन है कि व्यवहारी ने संविदा कार्य के निष्पादन हेतु उसके द्वारा ई.सी. प्राप्त किया हुआ है और संविदा कार्य के लिए विमुक्ति शुल्क चुकाया गया है इसलिए सब कान्ट्रेक्टर को उपलब्ध कराये गये माल पर पृथक से करारोपण किया जाना विधिक नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने से इन्कार करने संबंध में किसी प्रकार के कारणों का आदेश में अंकन नहीं किया है। इसलिए उनके

द्वारा सृजित मांग राशि बाबत प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट करते हुए उक्त मांग वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी तथा अन्यथा स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क भी दिया गया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षीय तर्को पर विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः यह पीठ अनुभव करती है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 2 एवं 3 में अंकित राशियों की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्यात जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष